रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED NO. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 108] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 16, 1972/वैशाख 26, 1894

No. 108] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 16, 1972/VAISAKHA 26, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 16th May 1972

Subject:—Import of various types of printing machines falling under S. No. 67 (I)(I)V in favour of the Actual Users—Applications for—

No. 69-ITC(PN)/72.—Attention is invited to remarks against S. No. 67(1)(i)V, in Section II of the Import Trade Control Policy (Red Book Vol. I) for 1972-73 in terms of which actual user applications from newspaper establishments and quality printers as defined in Appendix-9, will be considered by Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi for import of printing machinery required for replacement or development purposes, subject to restriction in Appendix 35 of that (Red) Book. It has been further provided therein that the applicants should furnish certain additional information along with their applications in the proforma prescribed in Appendix-9.

2. It has however, been observed from the applications received from Actual Users, for the import of above mentioned printing machines that complete information as required in terms of the aforesaid provision, is not being furnished. The applications are also not accompanied by the specimen of the work done by the applicants in their own press.

3. It is, therefore, clarified that the import of pinting machine by Chief Controller of Imports and Exports Office will be considered for replacement/development purposes from those applicants only who are quality printers in terms of part 'B' of Appendix-9 of the Red Book viz:—

(a) who have been in the approved list of Director of Advertising & Visual Publicity/Director of Publications/ Chief Controller of Printing & Stationery as quality printers; or

(b) who have been awarded merit certificates either by Central or State Governments; or

(c) who can produce outstanding specimens of the work done by them which could be categorised as work of quality.

While applying for import of printing machines, the applicant should produce the required evidence that they are Quality Printers. They should also submit their applications in Form 'B', accompanied by the additional information as mentioned in Appendix-9 of the Red Book (Vol. I) for 1972-73. Applications received with incomplete information will be liable for rejection.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 16 मई, 1972

विषय : क्रम संख्या 67(1)(1)(5) के अन्तर्गत आने वाली मुद्रण मशीनों के विभिन्न टाइपों का वास्तविक उपयोक्ताओं के नाम में आयात करने के लिए आवेदन-पत्र ।

सं० 69–आई० टी० सी० (पी एन)/72.—आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेडबुक-वा० 1) के खंड 2 में क्रम संख्या 67(1)(1)5 के सामने की टिप्पणी की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार परिशिष्ट 9में यथा निर्धारित समाचार-पत्रसुस्थापितों और क्वालिटी प्रिंटरोंसे वास्तविक उपयोक्ता आवेदन-पत्रों पर उक्त (रेड) बुक के परिशिष्ट 35 की प्रतिबंधता के अधीन विस्थापन या विकास कार्यों के लिए अपेक्षित मुद्रण मशीनों के आयात के लिए मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली के द्वारा विचार किया जाएगा । उसमें आगे यह भी व्यवस्था की गई है कि परिशिष्ट 9 में निर्धारित प्रपत्र में आवेदकों को अपने आवेदन-पत्र के साथ कुछ अतिरिक्त सूचनाएं भी देनी चाहिए ।

2. लेकिन, ऊपर उल्लिखित मुद्रण मशीनों के आयात के लिए वास्तविक उपयोक्ताओं से प्राप्त आवेदन-पत्रों से यह जानने में आया है कि उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार यथा अपेक्षित सूचनाएं नहीं भेजी जा रहीं है । आवेदकों द्वारा उन की फैक्ट्री में किए गए काम के नमूने भी उन के आवेदन-पत्रों के साथ नहीं भेजे जाते ।

3. इसलिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि विस्थापन/ विकास कार्यों के लिए मुद्रण मशीनों के आयात पर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय द्वारा केवल उन्हीं आवेदनों पर विचार किया जाएगा जो रेडबुक के परिशिष्ट 9 के भाग 'बी' की शर्तों के अनुसार क्वालिटी प्रिंटर है, अर्थात् :—

(क) जो विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशक/प्रकाशन निदेशक/मुख्य नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री की अनुमोदित सूची में क्वालिटि प्रिंटर के रूप में है, या

(ख) वे जिन्हें या तो केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा वरीयता प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है, या

(ग) वे जो उनके द्वारा किए गए काम का उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत कर सकते है जो क्वालिटी के काम के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

जब मुद्रण मशीनों के आयात के लिए आवेदन किया जा रहा हो तो आवेदक को चाहिए कि वह अपेक्षित साक्ष्य प्रस्तुत करे कि वे क्वालिटी प्रिंटर है। उन्हें चाहिए कि वे 1972-73 के लिए रेड बुक (वा० 1) के परिशिष्टि 9 में यथा उल्लिखित अतिरिक्त सूचना के साथ 'दी' फार्म में आवेदन-पत्र भी दें। अपूर्ण सूचना के साथ प्राप्त किए गए आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972